कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 1957 भोपाल, दिनांक 8-4-24

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/ROAD/138467/2021)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 021/2022-BHO दिनांक 23.02.2024 .

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	When was the work in violation started?	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अपने पत्र दिनांक 27.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि उपरोक्त मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में प्रारम्भ हुआ था।
2	Whether any authority has passed orders in contravention of provisions of FCA?	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अवगत कराया है कि आवेदक विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण बिना वन विभाग की अनुमति के मौके पर निर्माण कार्य किया गया।
3	What action has been taken against the offenders?	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अवगत कराया है कि वनक्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कार्य के संबंध में आवेदक विभाग संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को स्पष्टीकरण जारी किया गया है तथा दोषी पाये गए वन कर्मचारी बीटगार्ड एवं वन परिक्षेत्र सहायक को लघुशास्ति परिनिन्दा से दण्डित किया गया है।

-2-

4	The State Govt. shall submit a detailed action taken report of violation, name of violator/offender/sub ordinate officers. The concerned DFO should refer to the guideline Para 1.16 of the Handbook before determining the type of violation and submitting the action taken report.	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अवगत कराया है कि वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग मानचित्र अनुसार वनभूमि तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नम्बर 12 के खसरा क्रमांक 52, 128, 132, 133, 134, 155, 154, 145, 144, 141, 136 की राजस्व भूमि है। वन खण्ड अकोलिया मध्य भारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायवल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक/1101/XF/202(54) से संरक्षित वन घोषित है। उक्त अधिसूचना (रिक्त) है, जिसमें वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम के खसरे व रकबे का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही उक्त वनखण्ड का मानचित्र उपलब्ध है। जिस कारण से वन/राजस्व सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आवेदक विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण बिना वन विभाग की अनुमति के मौके पर निर्माण कार्य किया गया।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

08.04.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1141/2022/10–11/1958 भोपाल, दिनांक 8-4-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर/धार, मध्यप्रदेश।
3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

08.04.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल